आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08-09-2023	**वाद सं0—33 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0—गम्हरीया, बोलायडीह, रोड नं0—09, जिला— सरायकेला—खरसावाँ उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित। इस वाद के 31.07.2023 की हुई सुनवाई में आयोग ने अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश दिया था कि वे अपिलकर्ता द्वारा पेश किये गये पक्ष पर विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को भेजें लेकिन आयोग के निर्देश के बावजूद आयोग के अभिलेख में अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि जाँच प्रतिवेदन के साथ पश्चिमी सिंहभूम में आयोग की जन सुनवाई में उपस्थित रहें ताकि अपिलकर्ता की उपस्थिती में इस वाद की सुनवाई की जा सके। मामले की सुनवाई दिनांक—12.09.2023 को पश्चिमी सिंहभूम में निर्धारित की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	